

## प्रेस नोट दिनांक 28.05.2022

1. दिनांक 27.05.2022 को वादी श्री देवेन्द्र सिंह प्र०नि० थाना को०नगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अर्चित दुबे पुत्र अखिलेश्वर दुबे नि० बनवीरपुर थाना कैण्ट अयोध्या। आदि 13 नफर कुल 05 नफर गिर० अभि०गण के कब्जे से जुआ/सट्टा खेलने से सम्बन्धित एक अदद लैपटाप, 08 अदद मोबाइल फोन, एक अदद सट्टा रजि० व 02 अदद कार बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 402/22 धारा 419, 420, 467, 468, 120बी भादवि व 13 जुआ अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 27.05.2022 को वादी उ०नि० श्री अरविन्द कुमार सिंह थाना को०अयोध्या अयोध्याद्वारा सूचना दिया गया कि सहनवाज पुत्र रियाज अली नि० हैबतपुर थाना को०अयोध्या अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 196/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 27.05.2022 को वादी उ०नि० श्री रामप्रकाश मिश्र थाना को०अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि करन पुत्र लालचन्द्र नि० काशीराम कालोनी थाना को०अयोध्या अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 197/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 27.05.2022 को वादी उ०नि० वीरेन्द्र कुमार थाना महाराजगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि मुन्ना यादव पुत्र स्व० दलसिंगार नि० विसवल दलपतपुर थाना महाराजगंज अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से एक अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना महाराजगंज में मु०अ०सं० 192/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 27.05.2022 को वादी श्री शशिकान्त यादव प्र०नि० को०रूदौली अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि 1. अवधेश पुत्र दयाराम नि० शाहपुर अवरारव थाना आलापुर अम्बेडकरनगर, 2. राजेन्द्र पुत्र श्रीराम नि० घुरऊपुर थाना बसखारी अम्बेडकरनगर, 3. इन्द्रेण पुत्र सुखलाल नि० गोहनापुर थाना आलापुर अम्बेडकरनगर, 4. अमीरुल्लाह पुत्र जान मोहम्मद नि० गोहनार थाना आलापुर अम्बेडकरनगर सभी गिर० अभि०गण द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर करना, मुठभेड़ के दौरान अभि०गण अवधेश, राजेन्द्र, इन्द्रेण का घायल हो जाना तथा अभि० अवधेश के पास से एक अदद तमंचा 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, अभि० राजेन्द्र के पास से एक अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, अभि० इन्द्रेण के पास से एक अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व अभि० अमीरुल्लाह के पास से एक अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व एक अदद खोखा कारतूस बरामद होना तथा घटना स्थल पर 06 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना को०रूदौली में मु०अ०सं० 207/22, धारा 208/22, 209/22, 210/22, 211/22 307 भादवि, 3/25 आर्म्स एक्ट, 3/25 आर्म्स एक्ट, 3/25 आर्म्स एक्ट, 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।